



संलग्नक—

प्रस्तावित वनभूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों का Entire Tree Transplant (ETP) योजना हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र ।

प्रमाणित किया जाता है कि रेणुकूट वन प्रभाग के अनपरा/पिपरी रेंज के अन्तर्गत मेंसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिविजन) को भारत सरकार के आदेश संख्या 8-75/95-एफ.सी. दिनांक 17.07.1996 एवं उ०प्र० राज्य सरकार के आदेश संख्या 5281/14-2-96-800(27)/1995 दिनांक 15.10.1996 द्वारा रेणुसागर पावर प्लांट से हिण्डालको प्लांट, रेणुकूट तक वर्ष 1996 में 25 वर्षों के लिये (दिनांक 15.10.1996 से 14.10.2021 तक) 52.9666 हेक्टेयर वन भूमि 132 के.वी. विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु उपरोक्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया गया था। लीज पर दी गयी उपरोक्त 52.9666 हेक्टेयर वनभूमि को हिण्डालको संस्थान द्वारा पुनः 25 वर्षों हेतु (दिनांक 15.10.2021 से 14.10.2046 तक) लीज पर लिये जाने की आवश्यकता है। प्रस्तावित क्षेत्र पर वर्ष 1971 से 132 के.वी. विद्युत पारेषण लाईन स्थापित है, अतः वृक्षों के पातन की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी वृक्ष का पातन किया जायेगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन प्रस्तावित क्षेत्र में Entire Tree Transplant (ETP) हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा वैधानिक रूप से नियमानुसार जो भी शर्त लगायी जायेगी उसका अनुपालन करने हेतु हिण्डालको संस्थान बचनबद्ध है।

For Hindalco Industries Limited

(Vivek Kumar)
Authorized Signatory

Hindalco Industries Limited

P.O. Renukoot-231217, District, Sonebhadra, Uttar Pradesh, India

T: +91 5446 252077-79/254791-96 | Fax: +91 5446 252107/252427 | E: hindalco@adityabirla.com | W: www.hindalco.com

Registered Office: Ahura Centre, 1st Floor, B Wing, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400 093

T: +91 22 6691 7000 | Fax: 91 22 6691 7001

Corporate ID No.: L27020MH1958PLC011238